भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2051
उत्तर देने की तारीख: 17.12.2025

सूचियों में समुदायों को शामिल करना

2051. श्री के. आर. एन. राजेश कुमार:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सूचियों में समुदायों को शामिल करने अथवा पुनर्वर्गीकृत करने हेतु राज्य सरकारों से वर्ष-वार और राज्य-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;
(ख) ऐसे प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जो वर्तमान में विचारार्थ लंबित है;
(ग) क्या सरकार को समावेशन तथा पुनर्वर्गीकरण से संबंधित मामलों में लंबे समय से लंबित विलंबों के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) इन मामलों को अंतिम रूप देने में देरी के क्या कारण हैं, विशेषकर उन मामलों में जहां सरकार द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज़ एवं सूचनाएं उपलब्ध करा दी गई हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ख): विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों से अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने/पुनर्वर्गीकरण करने के लिए प्राप्त हुए एवं लंबित प्रस्ताव **संलग्नक-I** में दिए गए हैं।

(ग) से (घ): अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में, अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में किसी जाति को शामिल/संशोधित भारत के संविधान के अनुच्छेद 342क के उपबंधों के अनुसार किया जाता है।

अनुसूचित जातियों के मामले में, सरकार ने अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने, सूची से हटाने और अन्य संशोधनों के दावों पर निर्णय लेने के लिए तौर-तरीके

निर्धारित किए हैं। भारत के महापंजीयक (आरजीआई) और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी), दोनों द्वारा सहमत राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों के ऐसे प्रस्तावों पर ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड(2) में यथा निर्धारित विधान में संशोधन करने के लिए आगे कार्रवाई की जाती है। ऐसे सभी प्रस्तावों पर ऊपर उल्लिखित तौर-तरीकों के अनुसार कार्रवाई की गई है। इस विभाग/मंत्रालय के पास फिलहाल कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

अनुसूचित जनजातियों के मामले में, जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में समुदायों को अधिसूचित करने से संबंधित मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है। भारत सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में शामिल करने, सूची से हटाने या अन्य संशोधनों के दावों पर निर्णय लेने के लिए 15.06.1999 (25.06.2002 और 14.09.2022 को यथासंशोधित) को तौर-तरीके निर्धारित किए हैं। इन तौर-तरीकों के अनुसार, किसी प्रस्ताव पर केवल तभी कार्रवाई की जा सकती है जब संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन द्वारा इसकी सिफारिश की गई हो और इसे न्यायोचित ठहराया जाता है तथा भारत के महापंजीयक (आरजीआई) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) द्वारा सहमति दी गई हो। जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रति वर्ष अनुसूचित जनजातियों की सूची में समुदायों को शामिल करने/वर्गीकृत करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों से अनेक प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। सूचित किया जाता है कि अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के ऐसे प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए आरजीआई और एनसीएसटी द्वारा जांच करने के कई चरण शामिल होते हैं। ऐसे मामले जिनमें भारत के महापंजीयक द्वारा किसी प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया गया है, में राज्य सरकारों को इन टिप्पणियों के बारे में सूचित किया जाता है और उन्हें अतिरिक्त स्पष्टीकरण/औचित्य, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

- विगत पांच वर्षों के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने/पुनर्वर्गीकरण के लिए प्राप्त हुए और लंबित प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	प्रस्तावों की संख्या
1.	तेलंगाना	01
3.	चंडीगढ़	01
4.	जम्मू-कश्मीर	03
6.	कर्नाटक	01
7.	त्रिपुरा	02
8.	राजस्थान	01
10.	मध्य प्रदेश	04
11.	झारखंड	02
12.	तमिलनाडु	02
13.	महाराष्ट्र	01
14.	पंजाब	01
15.	केरल	01
कुल		**20**

- विगत पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने/पुनर्वर्गीकरण के लिए प्राप्त प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	समुदाय का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	बेडा (बुडगा) जंगम
2.	छत्तीसगढ़	1. डोमरा 2. महारा, माहरा
3.	गुजरात	नट, नटदा, बाजीगर
4.	हिमाचल प्रदेश	फलहारे
5.	जम्मू-कश्मीर	वाल्मीकि
6.	झारखंड	1. चेन, केवट, मल्लाह, निषाद 2. डोमरा
7.	महाराष्ट्र	धोबी
8.	तमिलनाडु	देवेंद्रकुला वेलालार

- विगत पांच वर्षों के दौरान संबंधित राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में समुदायों को शामिल करने/पुनर्वर्गीकरण करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संख्या।

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र**	**प्रस्तावों की संख्या**
1.	असम	6
2.	बिहार	1
3.	छत्तीसगढ़	8
4.	गुजरात	2
5.	झारखंड	1
6.	कर्नाटक	1
7.	केरल	1
8.	लद्दाख	1
9.	मध्य प्रदेश	1
10.	मणिपुर	1
11.	ओडिशा	4
12.	तमिलनाडु	2
13.	तेलंगाना	2
कुल		31
